प्रेस विज्ञप्ति

08/10/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने शाइन सिटी धोखाधड़ी के धन-शोधन मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष 20.09.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 05.10.2024 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है।

ईडी ने राशिद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 554 प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें उन्होंने निवेश के नाम पर जनता से भारी मात्रा में 1000 करोड़ रुपये (लगभग) एकत्र किए थे और उनको भारी रिटर्न का वादा किया था और अंत में धोखाधड़ी करके उन्हें धोखा दिया था।

22-07-2024 को राशिद नसीम के करीबी सहयोगी हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया था। ईडी की जांच से पता चला कि हिमांशु कुमार ने श्रद्धा सबुरी इंफ्रा-डेवलपर्स, स्कैपर्स रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड, भव्या ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, रियलकॉन लिंक्स जैसी कई कंपनियों को शामिल और नियंत्रित किया था। ग्राहकों से एकत्र किए गए पैसे को हिमांशु कुमार के स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन वाली संस्थाओं में ले जाया गया। इसके अलावा, मनी ट्रेल की पहचान की गई, और ईडी ने हिमांशु कुमार और उनकी कंपनियों से संबंधित आवासीय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ऑफिस स्पेस और कृषि भूमि के रूप में 13-09-2024 को 29.11 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क कीं।

धन-शोधन के अपराध में हिमांशु कुमार की भूमिका स्थापित करने के बाद उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की थी। अब तक, 05 अभियोजन शिकायत दायर किए गए हैं और कुल 8 व्यक्तियों, 13 कंपनियों और 9 साझेदारी फर्मों को आरोपी बनाया गया है। माननीय विशेष न्यायालय ने अब तक दायर सभी पीसी का संज्ञान लिया है। इस मामले में अब तक की गई कुल कुर्की की राशि 189.39 करोड़ रुपये (लगभग) है।

ईडी की जांच जारी है।